

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी
मुकदमा नं. 19 / 2018

वहक श्री राजलाल-बोधी
पुत्र श्री अलकन्द
जाति अलकन्द शीलभकरी
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91
निर्णय दिनांक 24/9/18

7/18
18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शीलभकरी खसरा नम्बर 349, 350 रकवा 243 हैक्टर विरम (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री राजलाल बोधी पुत्र श्री अलकन्द जाति अलकन्द निवासी शीलभकरी जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू.-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

स्वयं सा कोर्टिस लागिल अदा जाल जो शामिल गिसल है। अन्तर्गत स्वयं उपदेयर हुमा जवाब पल्लुट डिया जो शामिल गिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम शीलभकरी ख. नं. 349, 350 रकवा 243 हैक्टर (अ. नं. 349) पर संवत् 2074 में विना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अलकन्द, अलकन्द

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

- (1) अतिक्रमी को आरजी राज से हेषखल किया जाकर कब्ज वहक सरकार लिया जावे।
- (2) लगान दर रूपया 600 का 50 गुणा रूपया 729 रु. (रुपये सात सौ उनतीस रूपये) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। भु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(अलक)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास

2018-19 54
729/-

भकरी